फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

पेमाराम वगै.
बनाम
वर्षा कुमारी वगै.

किस्म मुकदमा 225 आर.टी एक्ट न. 38 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.02.2022	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 05 की तरफ से अधिवक्ता श्री केसराराम विश्नोई उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा प्रकरण संख्या 89/2017 बअनवान वर्षाकुमारी वगै. बनाम पेमाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 14.02.2022 के विरूद्ध पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आराजी में से अपीलांट पेमा ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान नहीं किया गया। रेस्पोडेंटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत आवेदन दुर्भावना से पेश किया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे। रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्ष के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। अपीलांट संख्या 01 अपीलाधीन आराजी को बेचान करने पर उतारू है, दावे के विचारण में रहते भूमि का बेचान किया जाता है तो रेस्पोडेंटस/वादी को अपूरणीय क्षति कारित होना संभाव्य है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध पारित किया गया। अपीलांट संख्या 01 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट को भूमि के उपयोग एवं उपभोग से वंचित किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होना संभावित है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन	

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट के पक्ष में है। लिहाजा अपीलांट की अपीलों को स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2022 में संशोधन करते हुए मौजा मौखावा के खेत खसरा संख्या 365 में से रकबा 14.10 बीघा व खसरा संख्या 365/2 रकबा 0.06 बीघा भूमि जो अपीलांट संख्या 01 ने अपीलांट संख्या 02 के पक्ष में दिनांक 17.07.2017 को किये गये रजिस्टर्ड दान–पत्र के अनुसार नामांतकरण खोलने की अनुमति दी जाती है, शेष आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर